कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/एफ–/1/सा.प्र.वि./2026/ESTB/8964/2026-ESTT SEC भिलाई, दिनांक 20/05/2026

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप **श्री अनिल कुमार मेश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी** को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 335 भिलाई, दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से निलंबित किया गया तथा दिनांक 09.04.2026 को उनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। इस कार्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र दिनांक 09.04.2026 का जवाब श्री मेश्राम द्वारा दिनांक 11.05.2026 को प्रस्तुत किया गया है।

श्री मेश्राम द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रथमदृष्ट्या समाधानप्रद नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुये श्री राजेन्द्र कुमार दोहरे, अपर आयुक्त को विभागीय जांच अधिकारी एवं श्रीमती शालिनी गुरव, सहायक अधीक्षक(सामान्य प्रशासन विभाग) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी 03 माह की समय–सीमा में विभागीय जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by
RAJEEV KUMAR PANDEY
Date: 20-05-2026
22:08:32

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र/एफ–/1/सा.प्र.वि./2026/ESTB/8964/2026-ESTT SEC भिलाई, दिनांक 20/05/2026

प्रतिलिपि :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार दोहरे, अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त 1/2, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 04 एवं 05 नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. श्रीमती शालिनी गुरव, सहायक अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, भिलाई को निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner